



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)  
शासन सचिवालय, जयपुर।



क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011-12

जयपुर, दिनांक :

16 DEC 2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में मानसून की परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में कार्य का समय प्रातः 7 बजे से 3:00 बजे तक का निर्धारित किया गया था। भविष्य में कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें एवं जारी आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

(पी.सी.किशन)

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
5. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर
7. सहायक निदेशक (आईईसी), महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस